INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP02340956216115V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 10:41 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14609804/ AYODHAYA SADAR/
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1460980400235431211472V
Purchased by	: VIDYA EDUCATIONAL INSTITUTE
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 100 (One Hundred only)
First Party	: VIDYA EDUCATIONAL INSTITUTE
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: VIDYA EDUCATIONAL INSTITUTE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम श्री राजेश कुमार पाण्डेय एवं प्रदीप कुमार मिश्र क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक विद्या एजुकेशनल इंस्टिट्यूट एवं टांडासूफी, रुदौली, जिला-अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा जय देवनाथ बाबा फार्मेसी कॉलेज एवं पिरखौली,बडागांव, सोहावल, जिला-अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम टांडासूफी, रुदौली, जिला-अयोध्या में गाटा संख्या 887 घ, 887 ङ, 887 ज एवं 2.04 एकड़ रकबा क्रमशः 0.82 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.82 हेक्टेयर) भूमि है।

NOTARY GOVT OF (INDIA)

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 887 प, 887 ड, 887 ज एवं 2.04 एकड़ रकबा कमश 0.82 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.82 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 15/11/2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० प्रबन्धक
प्रबन्धक
विद्या एजुकेशनल इंस्टिट्यूट
टांडामुफी, रुदौली, अयोध्या

NOTARY
Munni Devi
GOVT OF (INDIA)

ह० अध्यक्ष
अध्यक्ष
विद्या एजुकेशनल इंस्टिट्यूट
टांडामुफी, रुदौली, अयोध्या

DEPONENT
Verified by the
2/9/2023